समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

राजसात् वाद संख्या–96/2022–23

जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो (राज्य)

–बनाम्–

दिनेश गिरी एवं अन्य

–::आदेश::–

04.07.2023

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख एवं उसमें संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो के अधियाचना सं0–22/2022, दिनांक–23.12.2022 के द्वारा सूचित किया गया है कि पेटरवार थाना कांड सं0–122/2020, दिनांक–08.08.2020, धारा–379/414/353/34 भा0द0वि0, 21 खान एवं खनिज अधिनियम के अन्तर्गत जप्त 1. ट्रैक्टर सं0–JH09AC-5093, Trolly No. JH09AC-1826 एवं उस पर लदा लगभग 100 घनफीट बालू वाहन मालिक श्री दिनेश गिरी पिता महेश गिरी 2. बिना नम्बर का ट्रैक्टर एवं उस पर लदा लगभग 100 घनफीट बालू वाहन मालिक श्री अरूण गिरी पिता श्री हीरा गिरी, दोनो पता सा0–चलकरी, थाना पेटरवार, जिला बोकारो 3. ट्रैक्टर सं0– JH09AJ-8593, Trolly No. अंकित नहीं एवं उस पर लदा 100 घनफीट बालु 4. ट्रैक्टर सं0–JH09AD-7C52, Trolly No. अंकित नहीं एवं उस पर लदा 100 घनफीट बालु वाहन मालिक श्री राजू नायक पिता स्व0 बधन नायक, सा0–गिरी टोला, चलकरी, थाना पेटरवार, बोकारो 5. ट्रैक्टर वाहन सं0–JH09AH-9838, Trolly No. JH09AH-8530 एवं उस पर लदा लगभग 100 घनफीट बालू वाहन मालिक श्रीमति कुसुम देवी पति राजेश्वर शर्मा, सा0–ठाकुर टोला, चलकरी, पेटरवार, बोकारो के विरूद्ध बिना परिवहन चालान के परिवहन करने के आरोप में दर्ज किया गया है। फलस्वरूप उनके The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के तहत जप्त वाहन एवं अवैध 500 घनफीट बालु को राजसात् की कार्रवाई करने हेतु यह वाद दायर किया गया है।

वाद का सारांश यह है कि श्री विनोद बिहारी प्रमाणिक, खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, बोकारो के द्वारा दिनांक–08.

08.2020 को पूर्वा0 8:30 बजे स0अ0नि0 अनन्त सिंह एवं पुलिस बल के साथ पेटरवार थाना के चलकरी पुल से दक्षिण दिशा में औचक छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान उपरोक्त पाँच ट्रैक्टरों पर अवैध रूप से बालु का खनन कर ट्रॉली में लोड किया जा रहा था। छापेमारी टीम को देखकर एक ट्रैक्टर को छोड़कर शेष ट्रैक्टरों से ट्रॉली में लदा बालु को अनलोड कर दिया गया। पाँचों ट्रैक्टर को थाना लाने के क्रम में वाहन सं0– JH09AJ-8593 के चालक द्वारा वाहन को नदी में फँसा दिया गया तथा जानबूझ कर ब्रेक डाउन कर दिया गया। इसके बाद शेष चार ट्रैक्टरों को चलकरी पुल के पहले बलपूर्वक 1. ट्रैक्टर सं0–JH09AC-5093, (ट्रॉली के साथ) एवं 2. बिना नं0 का वाहन के मालिक क्रमशः 1. दिनेश गिरी पिता महेश गिरी 2. अरूण गिरी पिता हीरा गिरी दोनो ग्राम+पो0 –चलकरी थाना पेटरवार जिला बोकारो के द्वारा वाहनों को भगा दिया गया। शेष दो वाहनों को शांतिपूर्वक थाना लाया गया। तत्पश्चात विधिवत रूप से जप्ती सूची बना कर वाहन एवं उस पर लदा बालू तथा वाहन के मालिक/चालक के विरूद्ध पेटरवार थाना में काण्ड दर्ज किया गया।

उक्त के क्रम में प्रतिवादी (वाहन के मालिक) को अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया।

प्रतिवादी सं0–1, 2 एव 3 की ओर से उपस्थिति दर्ज करते हुए कारण–पृच्छा दाखिल किया गया है। प्रतिवादी सं0–4 एवं 5 सुनवाई के दौरान पुकार पर अनुपस्थित रहे। सभी प्रतिवादी की ओर से दाखिल कारण–पृच्छा का अवलोकन किया गया।

प्रतिवादी सं0–1 की ओर से दाखिल कारण–पृच्छा में उल्लेख किया गया है कि घटना कि तिथि एवं समय पर ट्रैक्टर सं0– JH09AC-5093, Trolly No. JH09AC-1826 को नदी में धो रहा था और उस ट्रैक्टर पर कोई बालू नहीं लदा था। वादी एवं पुलिस पदाधिकारी द्वारा साजिस के तहत खानापूर्ति करने हेतु प्रतिवादी दिनेश गिरी के विरूद्ध थाना में काण्ड दर्ज कराया गया है। अनुसंधान के क्रम में अनुसंधानक द्वारा अपने अनुसंधान दैनिकी में यह लिखा है कि विपक्षी का ट्रैक्टर पकड़ने में कई प्रयास किया गया, परन्तु फरार पाया गया। प्रतिवादी सं0–2 की ओर से दाखिल

कारण—पृच्छा में उल्लेख किया गया है कि विपक्षी कमल गिरी के नाम से जो ट्रैक्टर सं0—JH09AJ-8593 है से केवल खेती कार्य में उपयोग किया जाता है। खेती कार्य के बाद अपने ट्रैक्टर को वह नदी में धोने गया था उसी समय पुलिस पदाधिकारी द्वारा उसे पकड़ लिया गया। ट्रैक्टर/ईंजन को निकालने के क्रम में वह नदी में फँस गया। खान निरीक्षक एवं पुलिस पदाधिकारी द्वारा साजिस के तहत उसे फँसा दिया गया। प्रतिवादी सं0—3 की ओर से दाखिल कारण—पृच्छा में उल्लेख किया गया है कि घटना की तिथि एवं समय पर विपक्षी अरूण गिरी के नाम से कोई ट्रैक्टर नहीं था। विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि तीनो प्रतिवादी सम्मानित युवा व्यवसायी है और मेहनत मजदूरी कर अपना परिवार को चलाते है। प्रतिवादी सं0—4 की ओर से दाखिल कारण—पृच्छा में उल्लेख किया गया है कि वर्तमान में यह अधिहरण वाद सच्चाईयों पर एवं कानून के दृष्टिकोण से चलाने योग्य नहीं है। वादी के द्वारा विपक्षी के विरूद्ध लगाये गये आरोप सत्य से बिल्कुल परे, मनगढ़ंत एवं बेबुनियाद है। विपक्षी राजू नायक वाहन सं0— JH09AD-7652 एवं ट्रॉली सं0— JH09AS-8624 के मालिक है और वह निर्दोष है। उन्हें इस वाद में गलत तरीके से फँसाया गया है। विपक्षी के द्वारा कभी भी अवैध रूप से बालू का परिवहन नहीं किया गया है। प्रश्नगत ट्रैक्टर एवं ट्रॉली कृषि और वाणिज्यिक वाहन है तथा किसानों के लिए चलते है और सेवा प्रदान करते है। विद्वान निम्न न्यायालय के द्वारा संबंधित थाना एवं भवदीय न्यायालय से प्रतिवेदन की माँग की गई और पाया कि दो वर्ष बीतने के बाद भी प्रश्नगत वाहन के विरूद्ध राजसात् की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई है, तो विद्वान S.D.J.M, Bermo at Tenughat के न्यायालय द्वारा दिनांक—09.11.2022 को न्यायिक आदेश पारित करते हुए प्रश्नगत वाहन (बालू को छोड़कर) को सशर्त याचिकाकर्त्ता के पक्ष में विमुक्त कर दिया गया। प्रतिवादी सं0—5 की ओर से दाखिल कारण—पृच्छा में उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत ट्रैक्टर एवं ट्रॉली का उपयोग सिर्फ खेती गृहस्थी के कार्य में लाया जाता है। उक्त वाहन को कुछ लोगो के द्वारा मलवा फेंकवाने के लिए देने का आग्रह किया गया था। उचित कार्य को देखते हुए मैनें

अपने ट्रैक्टर को कार्य करने के लिए भेज दिया था। कार्य समाप्त होने पर ड्राईवर चलकरी स्थित दामोदर नदी के किनारे गाड़ी को धोने का कार्य कर रहा था इसी बीच पुलिस वहाँ पहुँचकर सिर्फ संदेह के आधार पर मेरे उक्त गाड़ी एवं ट्रॉली खाली स्थिति में जप्त कर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। वर्तमान में विद्वान S.D.J.M, Bermo at Tenughat के न्यायालय द्वारा दिनांक–19.11.2020 को न्यायिक आदेश पारित करते हुए प्रश्नगत वाहन (बालू को छोड़कर) को सशर्त याचिकाकर्त्ता के पक्ष में विमुक्त कर दिया गया। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में सभी प्रतिवादियों के द्वारा अपने कारण–पृच्छा में कहा गया है कि यह अधिहरण की कार्यवाही विधिक नहीं है। अतः न्यायहित में इस वाद को खारिज करते हुए समाप्त करने का अनुरोध किया गया है।

प्रतिवादियों की ओर से दाखिल कारण–पृच्छा एवं अभिलेख में संधारित अन्य कागजातों के अवलोकन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि 1. ट्रैक्टर सं0–JH09AC-5093, Trolly No. JH09AC-1826 एवं उस पर लदा लगभग 100 घनफीट बालू 2. बिना नम्बर का ट्रैक्टर एवं उस पर लदा लगभग 100 घनफीट बालू 3. ट्रैक्टर सं0– JH09AJ-8593, Trolly No. अंकित नहीं एवं उस पर लदा 100 घनफीट बालु को जप्त नहीं किया जा सका। अभिलेख में संधारित अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बेरमों (तेनुघाट) के पर्यवेक्षण टिप्पणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि सिर्फ 1. ट्रैक्टर सं0–JH09AD-7652 Trolly No. अंकित नहीं एवं उस पर लदा लगभग 100 घनफीट बालू 2. ट्रैक्टर वाहन सं0–JH09AH-9838, Trolly No. JH09AH-8530 एवं उस पर लदा लगभग 100 घनफीट बालू को ही जप्त कर थाना लाया गया। जप्त दोनो वाहनों को (बालू छोड़कर) विद्वान S.D.J.M, Bermo at Tenughat के न्यायालय द्वारा इस राजसात की कार्यवाही प्रारम्भ होने पूर्व ही क्रमशः दिनांक–09.11.2022 एवं दिनांक–19.11.2020 को न्यायिक आदेश पारित कर सशर्त विमुक्त कर दिया गया है। वाहन पर लदा बालू के संदर्भ में अब तक किसी के द्वारा भी दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में इस वाद को आगे बढ़ाने का कोई ठोस आधार नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में जिला

खनन पदाधिकारी, बोकारो के अधियाचना सं0–22 / 2022, दिनांक–23.12.2022 को आंशिक रूप से स्वीकृत करते हुए जप्त बालू (वाहन को छोड़कर) को राज्य सरकार के हित में राजसात् (Confiscate) किया जाता है एवं वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

तद्नुसार जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

04.7.23	04.7.23
समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी बोकारो।	समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी, बोकारो।

C. C. Issued Vide
No. 109 Dated 02/8/23

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2025.01.16 16:37:39 +05:30
Location: 192.168.1.103